

फार्म जी.एफ.आर. 27

[नियम 199 के अधीन भारत सरकार का निर्णय (1 देखें)]

मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पदनाम :
3. जिला और स्टेशन :
4. मूल वेतन
5. मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर का सम्मावित मूल्य
6. अग्रिम की अपेक्षित राशि
7. अधिवर्षिता अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख अथवा संविदा पर कार्यरत अधिकारी के मामले में संविदा समाप्ति की तारीख
8. मासिक किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम वापिस किया जाएगा
9. क्या इसी प्रयोजन के लिए पहले भी अग्रिम लिया गया था ? यदि हाँ तो :
 - (i) अग्रिम के आहरण की तारीख-----
 - (ii) अभी तक बकाया अग्रिम और/अथवा उस पर ब्याज की राशि, यदि कोई हो-----
10. क्या खरीदने की इच्छा है -
 - (क) नवी अथवा पुरानी मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर
 - (ख) यदि मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदा जाना है जिसका सरकारी कर्मचारी से कार्यालयीन लेन-देन है तो क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियावली 1964 के नियम 18 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है
11. क्या अधिकारी छुट्टी पर है अथवा छुट्टी पर जाने वाला है
 - (क) छुट्टी प्रारम्भ होने की तारीख
 - (ख) छुट्टी समाप्ति की तारीख
12. क्या कोई बातचीत अथवा प्राथमिक पूछताछ की जा रही है । ताकि अग्रिम की निकासी की तारीख से एक महीने के अन्दर मोटर कार/मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर की डिलीवरी ली जा सके ?
13. (क) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना पूर्ण तथा सही है ।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उस मोटर कार/ मोटर साइकिल/पर्सनल कम्प्यूटर की डिलिवरी नहीं ली है जिसके आधार पर मैंने अग्रिम के लिए आवेदन किया है। मैं अग्रिम की निकासी की तारीख से एक महीने के अन्दर खरीद का अंतिम रूप से भुगतान करने के लिए बातचीत पूर्ण करके उसका स्वामित्व प्राप्त कर लूँगा।

14. स्थायी है अथवा अस्थायी :

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर